

उत्तर प्रदेश नर्सिंग एवं मिडवाइज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 6536/20

दिनांक 21/12/2020

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,

मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया,

फैजाबाद रोड, बाराबंकी ।

विषय-एम.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 20 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1829/71-4-2020-एन-4/2017 टी०सी० दिनांक 20 नवम्बर, 2020 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग (एम०एससी०-नर्सिंग) की 20 सीट का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण कराया जा सकता है।

अतः बोधीस्तव चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया, फैजाबाद रोड, बाराबंकी के प्रशिक्षण केन्द्र में 20 सीट (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग-4 सीट, आब्स्टेट्रिक एण्ड गाइनकोलाजिकल नर्सिंग-4 सीट, चाइल्ड हेल्थ (पीडियाट्रिक) नर्सिंग-4 सीट, मेन्टल हेल्थ (साइकेट्रिक) नर्सिंग-4 सीट एवं कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग-4 सीट) प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के एम०एससी०-नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रति वर्ष सम्बद्धता शुल्क के रूप में रूपया 35,000/- (पैंतीस हजार रूपया) इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइज कौंसिल ।

दिनांक-

पत्र संख्या-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020
2. कुलसचिव, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या उ०प्र० अथवा कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ०प्र० ।

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइज कौंसिल ।

उत्तर प्रदेश नर्सिंग एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं०

दिनांक

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,

मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया,
फैजाबाद रोड, बाराबंकी ।

विषय-एम.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 20 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1829/71-4-2020-एन-4/2017 टी०सी० दिनांक 20 नवम्बर, 2020 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग (एम०एससी०-नर्सिंग) की 20 सीट का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण कराया जा सकता है।

अतः बोधीस्तव चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया, फैजाबाद रोड, बाराबंकी के प्रशिक्षण केन्द्र में 20 सीट (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग-4 सीट, आब्स्टेट्रिक एण्ड गाइनकोलाजिकल नर्सिंग-4 सीट, चाइल्ड हेल्थ (पीडियाट्रिक) नर्सिंग-4 सीट, मेन्टल हेल्थ (साइकोट्रिक) नर्सिंग-4 सीट एवं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग-4 सीट) प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के एम०एससी०-नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा श्री अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रति वर्ष सम्बद्धता शुल्क के रूप में रूपया 35,000/- (पैंतीस हजार रूपया) इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या-6536(2)/20

दिनांक-21/12/2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्युनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020
2. कुलसचिव, डा० राम मनोहर लोहिया अविध विश्वविद्यालय, अयोध्या उ०प्र० अथवा कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ०प्र०।

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।